भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 646

18 सितंबर, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: टिड्डियों के हमले के कारण फसलों को हुआ नुकसान

646 श्री सतीश चंद्र दुबे:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों से अब तक की अवधि के दौरान टिड्डियों ने देश भर में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा प्रभावित किसानों, जिनकी फसलें नष्ट हुई हैं को कितना मुआवजा दिया गया है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क): 2019-20 के दौरान, राजस्थान और गुजरात के कुछ जिलों में टिड्डियों के हमले की सूचना मिली थी। राजस्थान सरकार ने सूचना दी है कि 2019-20 के दौरान टिड्डियों के हमले से राज्य के 8 जिलों का कुल 1,79,584 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ था। गुजरात राज्य सरकार ने सूचना दी है कि वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के 2 जिलों के कुल 19,313 हेक्टेयर क्षेत्रफल में टिड्डी के हमले के कारण फसल की हानि हुई थी।

2020-21 के दौरान, 10 राज्यों यथा राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा और उत्तराखंड में टिड्डों की घुसपैठ की सूचना मिली थी, जहाँ राज्य सरकारों के साथ समन्वय से टिड्डी नियंत्रण के लिए ऑपरेशन किए गए थे। गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब और बिहार की राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में फसल का नुकसान न होने की सूचना दी है।

शुरुआत में, मई-जून 2020 के दौरान, राजस्थान सरकार ने बीकानेर में 2235 हेक्टेयर क्षेत्र में, हनुमानगढ़ में 140 हेक्टेयर क्षेत्र में और श्री गंगानगर में 1027 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डियों के हमले के कारण 33% से अधिक फसल के नुकसान की सूचना दी थी; परंतु अब, संशोधित रिपोर्ट के अनुसार, कहा गया है कि पहले प्रस्तुत डेटा खरीफ मौसम में बुवाई की गई फसल की प्रारंभिक अवस्था से संबंधित था और किसानों द्वारा फसल के नुकसान वाले इस क्षेत्र की फिर से बुवाई की गई है।

हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राज्य सरकारों ने इस साल टिड्डी हमले के कारण क्रमशः 6520 हेक्टेयर, 4400 हेक्टेयर, 806 हेक्टेयर, 488 हेक्टेयर और 267 हेक्टेयर में 33% से कम फसल के नुकसान की सूचना दी है।

(ख): 2019-20 के लिए, राजस्थान सरकार ने सूचना दी है कि टिड्डी के हमले के कारण 79,922 किसानों को टिड्डे आपदा अनुक्रिया कोष से कृषि इनपुट सब्सिडी के रूप में 132.54 करोड़ रुपये के राहत का भुगतान किया गया है। गुजरात की सरकार ने सूचना दी है कि 2019-20 के दौरान 9137 किसानों को राज्य आपदा अनुक्रिया कोष से कृषि इनपुट सब्सिडी के रूप में कुल लगभग 18.74 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, अब तक किसी भी राज्य सरकार ने 2020-21 के लिए टिड्डी हमले से प्रभावित किसानों को राहत राशि के संवितरण की सूचना नहीं दी है। तथापि, राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि टिड्डियों के हमले के कारण फसल के नुकसान के आकलन के लिए गिरदावरी/सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। फसल कटाई प्रयोगों के माध्यम से उपज के नुकसान का आकलन किया जाएगा और सभी पंजीकृत किसानों को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएफबीवाई) के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

*****